

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.11(7)नवि/रामगंजमण्डी-सुकेत(कोटा)/2026-17816

जयपुर दिनांक: यथा ई-हस्ताक्षर

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं0 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, एतद्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा को रामगंजमण्डी-सुकेत (जिला-कोटा) के नगरीय क्षेत्र, जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित है, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं क्षितिज वर्ष 2047 तक के लिये मास्टर प्लान तैयार करने हेतु नियुक्त करती हैं:-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)	NAME OF REVENUE VILLAGE (In ENGLISH)
तहसील-रामगंजमण्डी		
1.	अमरपुरा	AMARPURA
2.	अमृतखेड़ी	AMRIT KHERI
3.	अरन्याखुर्द	ARNYAKHURD
4.	बदरखान	BADARKHAN
5.	बीडमंडी	BEERMANDI
6.	भावपुरा	BHAOPURA
7.	बिशन्याखेड़ी	BISHANYKHERI
8.	छत्रपुरा	CHATARPURA
9.	डींगसी	DEENGASI
10.	देवलीखुर्द	DEOLI KHURD
11.	दुहनियाँ	DUHNIYA
12.	दुर्जनपुरा	DURJANPURA
13.	गून्दी	GOONDI
14.	गोर्धनपुरा	GORDHANPURA
15.	हनुमतखेड़ा	HANUMATKHERA
16.	जुल्मी	JULMI
17.	खैराबाद	KHAIRABAD
18.	किशोरपुरा	KISHOREPURA
19.	कोला	KOLA
20.	कुदायला	KUDAYALA
21.	कुम्भकोट	KUMBHKOT
22.	कुटकिया	KUTKYA
23.	लखारिया	LAKHARIYA
24.	लक्ष्मीपुरा	LAXMIPURA
25.	मण्डी नाथन	MANDI NATHAN
26.	मायला	MAYALA
27.	नालोदिया	NALODIYA
28.	निमाणा	NIMANA
29.	पायली	PAYLI

30.	पीपाखेड़ी	PEEPA KHERI
31.	रामपुरा	RAMPURYA
32.	रावली	RAVALI
33.	रीछड़िया	RICHDIYA
34.	रोंसली	ROSALI
35.	सलावद खुर्द	SALAWAD KHURD
36.	सांडपुर	SANDPUR
37.	सातलखेड़ी	SATAL KHERI
38.	सेमलहेड़ी	SEMALHERI
39.	सोहनखेड़ा	SOHAN KHERA
40.	सुकेत	SUKET
41.	सुरेड़ा	SURERA
42.	उम्मेदपुरा	UMMEDPURA
तहसील—चेचट		
43.	अतरालिया	ATRALIYA
44.	फतेहपुर	FATEHPUR
45.	काल्याकुई	KALYAKUI
46.	पमाखेरी	PAMAKHERI

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)

भासन उप सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन व स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
7. जिला कलक्टर, कोटा।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा।
9. प्रोग्रामर, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, रामगंजमण्डी (जिला—कोटा)।
11. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, सुकेत (जिला—कोटा)।
12. रक्षित पत्रावली।

भासन उप सचिव—प्रथम